(पूर्ण न्यायपीठ)

न्यायमूर्ति एस.एस.सोढ़ी, ए.सी.जे., आर.एस. मोंगिया और अशोक भान के समक्ष

सब इंस्पेक्टर राम फूल और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- उत्तरदाताओं

लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 792/1992

7 सितंबर 1992.

पंजाब पुलिस नियम, 1934 खंड II-नियम 19 और 19.22-इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त हेड कांस्टेबल-वरिष्ठता के अनुसार पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्ति नहीं- सरदूल सिंह के मामले में निर्धारित कानून और पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी निर्देशों के सीधे उल्लंघन में इस तरह की प्रतिनियुक्ति - कानून के नियमों की अवहेलना करने वाले पुलिस अधिकारी अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं- हेड कांस्टेबलों को वरिष्ठता के अनुरूप कोर्स पर नहीं भेजा गया--। किसी भी स्तर पर वापस भेजा जा सकता है - साथ ही पी.टी.सी. में विभिन्न कार्य करने वाले व्यक्तियों को उनकी वरिष्ठता के अलावा इंटरमीडिएट कोर्स के लिए कोई सीट आवंटित नहीं की जाएगी।

यह अभिनिर्णीत किया गया कि इस स्थिति का सामना करते हुए, हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि अब से पुलिस अधिकारी जो सरदूल सिंह के मामले में पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित नियम की

अवहेलना में इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए हेड कांस्टेबलों की प्रतिनियुक्ति करते हैं, वे अपने जोखिम पर ऐसा करेंगे। इससे वे स्वयं को न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बना लेंगे।हम इसके द्वारा यह भी निर्देश देते हैं कि जिन हेड कांस्टेबलों को इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए भेजा जा सकता है, अन्यथा उनकी वरिष्ठता के अनुसार, वे अकेले इस आधार पर पाठ्यक्रम से वापस भेजे जाने के लिए उत्तरदायी होंगे, भले ही उस समय पाठ्यक्रम का चरण कुछ भी हो।

यह अभिनिर्णीत किया गया कि पंजाब पुलिस नियम, खंड II के नियम 19.22 के तहत उन व्यक्तियों को इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए नियुक्त करने की कोई शक्ति नहीं है जो पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में विभिन्न कार्य कर रहे हैं। नियम में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में नौकरी करने वाले व्यक्तियों को इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त करने के उद्देश्य से कोई सीट आवंटित करने की परिकल्पना नहीं की गई है। परिणामस्वरूप हमारा मानना है कि पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में नौकरी करने वाले व्यक्तियों को उनकी वरिष्ठता के अलावा इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उन्हें भी उनकी वरिष्ठता के अनुसार ही प्रतिनियुक्त किया जाना है।

-लेटर्स पेटेंट अधिनियम के खंड 10 के तहत लेटर्स पेटेंट अपील जिसमें प्रार्थना की जाती है कि अपील की अनुमति दी जाए और विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाए।

-आगे प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि यदि अपील का अंतिम निपटान लंबित है, तो कौर्स के लिए याचिकाकर्ताओं को प्रतिनियुक्त किया जाए।

-विनोद शर्मा और एस. एम. शर्मा, याचिकाकर्ता के वकील।

आर. सी. सेतिया, अतिरिक्त ए.जी. हरियाणा, प्रतिवादियों के वकील।

निर्णय

एस.एस. सोढ़ी, ए.सी.जे.

(1) यहां मामला उस क्रम से संबंधित है, जिसमें हेड कांस्टेबलों को पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, मधुबन में इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्त किया जाना है।

(2) यह बीस साल पहले की बात है, सरदूल सिंह बनाम पुलिस महानिरीक्षक (एआईआर 1970 पंजाब और हरियाणा 481) मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निर्धारित किया था कि हेड कांस्टेबलों को उनकी वरिष्ठता के क्रम में इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्त किया जाना था। इस संबंध में यह देखा जा रहा है कि पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 13.9 में यह अंतर्निहित था कि सूची सी के प्रत्येक हेड कांस्टेबल को अपनी बारी में इस कोर्स के लिए प्रतिनियुक्त होने का अधिकार है और उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं डाली जा सकती है, क्योंकि इस पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करना उसे सहायक पुलिस उप निरीक्षक के पद पर आगे पदोन्नति के

लिए पात्र बनाने के लिए नियमों में निर्धारित एक आवश्यक योग्यता थी। ऐसा विशेष रूप से कहा गया था, क्योंकि ऐसा कोई अन्य संस्थान नहीं था जहाँ से यह योग्यता हासिल की जा सके।

(3) सरदुल सिंह के मामले (सुप्रा) में दृश्य को हरियाणा राज्य बनाम फूल चंद[1] में डिवीजन बेंच द्वारा दोहराया गया था, जहां फिर से यह माना गया था कि प्रत्येक हेड कांस्टेबल अपनी वरिष्ठता के अनुसार सख्ती से इस पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्ति का हकदार था। बेंच ने आगे कहा कि उस स्तर पर चयन का कोई तत्व नहीं था।

(4) आगे बढ़ने से पहले, यहां 7 दिसंबर, 1987 को पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों पर ध्यान देना उचित होगा। इसमें कहा गया है:

> “सरदुल सिंह के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार हेड कांस्टेबलों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में प्रतिनियुक्त किया जाना है। लेकिन ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि कुछ हेड कांस्टेबलों ने पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज मधुबन में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए अपने मूल जिले/यूनिट में वरिष्ठता के बावजूद उक्त पाठ्यक्रम के लिए पी.टी.सी. को आवंटित सीटों के विरुद्ध अपना इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया। मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिनियुक्ति पर एक हेड कांस्टेबल

---

[1] 1985 (2) एस.एल.आर. 425

> की वरिष्ठता उसके मूल विभाग में ही बनी रहती है और प्रतिनियुक्ति पर रहने पर उसकी स्थिति में किसी भी तरह से सुधार नहीं होता है। उन्हें केवल उनकी वरिष्ठता के अनुसार इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने का लाभ मिलेगा। प्रतिनियुक्ति पर एक हेड कांस्टेबल, यदि वह वरिष्ठता को छोड़कर किसी भी तरीके से इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करता है, तो उसे वरिष्ठता के अलावा किसी अन्य तरीके से स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के कारण मेधावी या अपने वरिष्ठों से श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। प्रशिक्षण उस हेड कांस्टेबल को अपने वरिष्ठों से पहले किसी भी पदोन्नति लाभ का दावा करने का अधिकार देगा जो हेड कांस्टेबल हैं और इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किए गए थे। प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजने का कार्य प्रथमतः उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियम के विपरीत है, इसलिए किसी भी प्राधिकारी से इसका उल्लंघन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। हालाँकि, यदि किसी व्यक्ति को ऐसे अवसर पर प्रशिक्षण मिलता है, तो पदोन्नति प्राधिकारी के पास अभी भी पदोन्नति के उद्देश्य से उसे अनदेखा करने की शक्ति है, जबकि उसके वरिष्ठों ने, जिन्होंने पाठ्यक्रम नहीं किया है। इसलिए भविष्य में इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हेड कांस्टेबलों के नाम सूची 'डी' में स्वीकार करते समय इन निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन के लिए ध्यान में रखा जा सकता है।

यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि कानून में स्थापित स्थिति के स्पष्ट प्रतिपादन के बावजूद, जैसा कि सरदूल सिंह और फूल चंद के मामलों (सुप्रा) में निर्धारित किया गया है और साथ ही पुलिस महानिदेशक द्वारा इस संबंध में जारी किए गए विशिष्ट निर्देश भी हैं। हेड कांस्टेबलों को उनकी वरिष्ठता के अलावा इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्त किए जाने के मामले प्रकाश में

आते रहते हैं। हाल ही में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ को वरिष्ठ याचिकाकर्ता हेड कांस्टेबलों को इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम में भेजने का निर्देश देने का अवसर मिला, जब उन्होंने हेड कांस्टेबल सत्य देव सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य[2] मामले में इस न्यायालय से संपर्क किया और शिकायत की कि इसके बजाय उनके कनिष्ठों को पाठ्यक्रम में भेज दिया गया था।

(5) कुछ महीने बाद, जूनियरों को इंटरमीडिएट स्कूल कोर्स में भेजे जाने का एक और उदाहरण सुरिंदर सिंह हेड कांस्टेबल बनाम हरियाणा राज्य[3] मामले में देखा गया। वहां भी, जूनियर्स को कोर्स में भेज दिया गया था जबकि सीनियर्स को छोड़ दिया गया था। चूंकि इस बीच पाठ्यक्रम पूरा हो चुका था, इसलिए याचिकाकर्ताओं को उनकी वरिष्ठता के अनुसार अगले पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्देश दिया गया।

(6) वर्तमान मामले में भी, शिकायत यह है कि पाठ्यक्रम में भेजे गए कनिष्ठों को उन अपीलकर्ताओं की तुलना में प्राथमिकता दी जा रही है जो उनके वरिष्ठ होने का दावा करते हैं। हालाँकि, यह रिकॉर्ड में आया है कि अपीलकर्ताओं से वरिष्ठ कम से कम 300 अन्य हेड कांस्टेबल थे जिन्हें अब तक पाठ्यक्रम में नहीं भेजा गया था। इसी आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को पाठ्यक्रम में भेजने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश के इस दृष्टिकोण पर वास्तव में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है, लेकिन यह

---

[2] सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 10334/1991 निर्णय 31 जुलाई 1991.

[3] सी.डब्ल्यू.पी. 15908/1991 निर्णय 2 दिसम्बर 1991.

मामला इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए हेड कांस्टेबलों को नामित करते समय संबंधित अधिकारियों द्वारा कानून में स्थापित स्थिति की अवहेलना का एक और स्पष्ट उदाहरण सामने लाता है।

(7) इस स्थिति का सामना करते हुए, हम यह निर्देश देने के लिए बाध्य हैं कि अब से पुलिस अधिकारी जो सरदुल सिंह के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित नियम की अवहेलना करते हुए इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए हेड कांस्टेबलों की प्रतिनियुक्ति करते हैं, ऐसा वे अपने जोखिम पर करेंगे, क्योंकि इससे वे खुद को अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बना लेंगे।

(8) हम इसके द्वारा यह भी निर्देश देते हैं कि जिन हेड कांस्टेबलों को इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए उनकी वरिष्ठता के अनुसार नहीं भेजा जाता है, वे अकेले इस आधार पर पाठ्यक्रम से वापस भेजे जाने के लिए उत्तरदायी होंगे, भले ही उस समय पाठ्यक्रम का चरण कुछ भी हो।

(9) हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि उपर्युक्त निर्देश किसी भी वैध और कानूनी आरक्षण के अधीन होंगे जो इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के एक विशेष वर्ग के लिए बनाया गया हो सकता है।

(10) निर्णय समाप्त करने से पहले, यह देखा जा सकता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपील के तहत अपने फैसले में कहा है, “अन्यथा भी, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में विभिन्न नौकरियों

के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को पंजाब पुलिस नियम खंड 2 के नियम 19.22 के प्रावधानों के अनुसार कई सीटें आवंटित की जाती हैं। उन्हें इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम में भाग लेने के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति है आदि, प्रोत्साहन के उपाय के रूप में। ऐसी स्थिति में, मैं यह नहीं कह सकता कि समुंदर सिंह को पाठ्यक्रम के लिए नियुक्त करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई या तो मनमानी थी या अनुचित थी। पंजाब पुलिस नियम, खंड 2 का नियम 19.22 निम्नलिखित शब्दों में है: -

19.22. पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में ड्रिल और शारीरिक प्रशिक्षण।

> (1) प्रिंसिपल, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, नियम 19.20 के अनुसार प्रशिक्षण के लिए जिलों से प्रतिनियुक्त किसी भी हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल को स्कूल में सेवा के लिए रख सकते हैं।। महानिरीक्षक की मंजूरी के बिना किसी भी ड्रिल और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक को एक समय में तीन साल से अधिक समय तक स्कूल में सेवा के लिए नहीं रखा जा सकता है, उसके दोबारा नियोजित होने से पहले कम से कम एक वर्ष का अंतराल हो।
>
> प्रिंसिपल, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, फिल्लौर को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ड्रिल और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों को उनकी तीन साल की प्रतिनियुक्ति के बाद सीधे निचले स्कूल पाठ्यक्रम में प्रवेश देने का अधिकार है, बशर्ते कि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित हों और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में उनकी सेवा संतोषजनक रही हो। .

(2) स्कूल में किए गए ड्रिल और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों की सभी पदोन्नति अस्थायी होगी और ऐसे सभी लोग अपने जिलों में लौटने पर अपने मूल रैंक में वापस आ जाएंगे। फिल्लौर ड्रिल स्टाफ से लौटे ड्रिल और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों को रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक की मंजूरी के बिना जिलों में ड्रिल और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक के रूप में अस्थायी रूप से भी नियोजित नहीं किया जाना चाहिए।

(3) पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में ड्रिल और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों के रूप में कार्यरत सभी निचले अधीनस्थों को उनके जिलों की पदोन्नति सूची ए, बी या सी में "उन्हें पदोन्नति के लिए उनके जिलों के अन्य पुरुषों के साथ समान माना जाएगा" के रूप में दिखाया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, प्रिंसिपल, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, संबंधित जिले के अधीक्षकों को सभी ड्रिल और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों पर फॉर्म 19.22(3) में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऊपरी अधीनस्थों की इस तरह पुष्टि होने के मामले में, ये रिपोर्टें उस रेंज के उप महानिरीक्षक को सौंपी जाएंगी जहां से उन लोगों को उनकी व्यक्तिगत फाइलों में शामिल करने के लिए पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में प्रतिनियुक्त किया गया था।

(11) उपर्युक्त नियम के अवलोकन से हम पाते हैं कि इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए नियम के तहत कोई शक्ति नहीं है - जो पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में विभिन्न कार्य कर रहे हैं। नियम में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में नौकरी करने वाले व्यक्तियों को इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त करने के उद्देश्य से कोई सीट आवंटित करने की परिकल्पना नहीं की गई है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील हमें किसी भी कानून के

तहत कोई अधिकार नहीं दिखा सके जिसके तहत उन व्यक्तियों के लिए कोई सीटें आवंटित की जा सकती हैं जो इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए आउट ऑफ टर्न प्रतिनियुक्ति के लिए पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में विभिन्न नौकरियां कर रहे हैं, परिणामस्वरूप हम मानते हैं पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में नौकरी करने वाले व्यक्तियों को उनकी वरिष्ठता के अलावा इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उन्हें भी उनकी वरिष्ठता के अनुसार ही प्रतिनियुक्त किया जाना है।

(12) ऐसी परिस्थितियाँ होने पर, हम निर्देश देते हैं कि इस निर्णय की एक प्रति पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को भेजी जाए, जिसे उनके द्वारा सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को वितरित किया जाए।

(13) वर्तमान अपील की योग्यता के संबंध में अपीलकर्ताओं से 300 से अधिक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इस आधार पर उन्हें राहत देने से इनकार करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के आक्षेपित फैसले में अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम इस अपील को खारिज करते हैं लेकिन दिए गए निर्देशों और टिप्पणियों के साथ। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

जे.एस.टी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा

सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Ravleen Kaur

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh